

2-1 ys[kk ijh{kk ds ifj.kke

वर्ष 2005-06 के दौरान विभिन्न वाणिज्य कर अंचलों में बिक्री कर निर्धारण एवं वापसी सम्बन्धी अभिलेखों की नमूना जाँच से 460 मामलों में 30.32 करोड़ रुपये के कर का अवनिर्धारण का पता चला जो सामान्यतः निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं :

%djkm+ #i; se#

| Øe I a | Js kh | ekeyka dh I d; k | jkf'k |
|-----------|--|------------------|-------|
| 1 | कर का नहीं/कम लगाया जाना | 113 | 7.20 |
| 2 | कर से छूट की अनियमित अनुमति | 92 | 6.04 |
| 3 | अर्थदण्ड का नहीं लगाया जाना | 26 | 3.85 |
| 4 | कर के रियायती दर की अनियमित अनुमति | 26 | 4.25 |
| 5 | अतिरिक्त कर एवं अधिभार का नहीं/कम लगाया जाना | 45 | 0.94 |
| 6 | गलत दरों से कर का लगाया जाना | 25 | 0.41 |
| 7 | बिक्री राशि के गलत निर्धारण के कारण कम कर लगाया जाना | 98 | 7.06 |
| 8 | कर के अधिक संग्रहण पर अर्थदण्ड का नहीं लगाया जाना/संगणना में भूल | 10 | 0.12 |
| 9 | अन्य मामले | 25 | 0.45 |
| | dy | 460 | 30.32 |

वर्ष 2005-06 के दौरान विभाग ने 58 मामलों में सन्निहित 12.29 करोड़ रुपये के अवनिर्धारण आदि को स्वीकार किया, जिसमें से 1.54 करोड़ रुपये से सन्निहित 24 मामले वर्ष 2005-06 के दौरान तथा बाकी पूर्ववर्ती वर्षों में बताये गये थे। इनमें से विभाग ने 1.25 करोड़ रुपये वसूल किये।

दृष्टान्तस्वरूप कुछ मामले जिनमें 16.59 करोड़ रुपये निहित हैं, निम्नलिखित कंडिकाओं में विवर्णित हैं :

2-2 0; @fo0; jkf'k dk fNik; k tkuk

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के साथ पठित बिहार वित्त अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अन्तर्गत यदि विहित प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का ठोस कारण है कि व्यवसायी ने बिक्री राशि के ब्यौरे को जानबूझकर छिपाया या छोड़ा है या प्रकट नहीं किया है अथवा ऐसी बिक्री राशि के लिए गलत विवरण दिया है, तो उक्त प्राधिकारी, वैसी बिक्री राशि पर व्यवसायी द्वारा देय कर की राशि का निर्धारण या पुनर्निर्धारण करेगा तथा छिपायी गई बिक्री राशि पर निर्धारित किये गये कर के अतिरिक्त अर्थदण्ड, जो कर का अधिकतम तीन गुणा तक किन्तु कम से कम कर के समतुल्य राशि होगा, भुगतान करने के लिये व्यवसायी को निर्देश देगा।

14 वाणिज्यकर अंचलों¹ में दिसम्बर 2004 तथा जनवरी 2006 के बीच यह देखा गया कि 24 व्यवसायियों ने निर्धारण वर्ष 1999-2000 से 2003-04 के दौरान 508.71 करोड़ रुपये के वस्तुओं का क्रय/विक्रय किया, जैसा कि क्रय/विक्रय विवरणी, पथ अनुज्ञा पत्र विवरणी तथा 'सी' एवं 'एफ' घोषणा पत्रों के उपयोगिता विवरणियों में दर्शाये गये थे, जबकि वे अपने व्यापार लेखा एवं अभिलेखों में मात्र 472.79 करोड़ रुपये ही लेखापित किये थे, जिसके फलस्वरूप 35.92 करोड़ रुपये मूल्य के वस्तुओं का विक्रय/क्रय को छिपाया गया था। जनवरी 2003 एवं जून 2005 के बीच कर निर्धारण पूरा करते समय निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा विक्रय/क्रय के छिपाव को पकड़ने में विफलता के कारण अतिरिक्त कर, अधिभार एवं न्यूनतम अर्थदण्ड सहित 4.37 करोड़ रुपये का कर कम आरोपित हुआ। इनमें से कुछ मामले दृष्टान्तस्वरूप नीचे दिये गये हैं:

| Ø e l a | vpy dk uke@ 0; ol kf; ; ka dh l d; k | dj fu/kkj .k dh vof/k@ dj fu/kkj .k dk ekg@o"l | oLrq | ykw nj ¼ fr'k r½ | okLrfod [kjhn@ ys[kkfi r [kjhn | okLrfod fc0h@ ys[kkfi r fc0h | fNik; h xbl jkf'k | dj@ vfkh. M dh jkf'k | dy |
|------------------|---|--|---|---------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------|
| 1 | समस्तीपुर (1) | 2000-01 एवं 2001-02 7/2003 एवं 7/2004 | जूट बैग | 10 | --- | 5,782.79 5,071.94 | 710.85 | 71.09 71.09 | 142.18 |
| 2 | विशेष पटना (3) | 2001-02 एवं 2002-03 2/2004 एवं 6/2005 | उत्तम किरासन तेल सीमेंट लोहा एवं इस्पात | 6 11 4 | 27,984.49 27,008.76 | 4,426.20 3,574.39 | 1,827.54 | 49.70 46.99 | 96.69 |
| 3 | हाजीपुर (5) | 2000-01 से 2003-04 1/2004 एवं 10/2004 के बीच | देशी शराब कंक्रीट स्लीपर कॉयर मैट्रेस जी. आई. पाइप पी भी सी पाइप | 25 10 12 4 8 | 3,096.99 2,676.18 | 596.09 562.32 | 454.58 | 40.12 37.29 | 77.41 |
| 4 | सासाराम (1) | 2003-04 11/2004 | देशी शराब | 25 | --- | 488.56 431.60 | 56.96 | 16.45 14.95 | 31.40 |

¹ बेगूसराय, भागलपुर, दानापुर, दरभंगा, हाजीपुर, जमुई, मुजफ्फरपुर, पाटलीपुत्र, पटना-उत्तरी, पटना-पश्चिमी, पटना-विशेष, समस्तीपुर, सासाराम एवं तेघड़ा

| Ø e l a | vpy dk uke@ 0; ol kf; ; ka dh l a; k | dj fu/kkj .k dh vof/k@ dj fu/kkj .k dk ekg@o"l | oLrq | ykw nj va fr'k r½ | okLrfod [kjhn@ ys'kkfi r [kjhn | okLrfod fcØh@ ys'kkfi r fcØh | fNik; h xbl jkf'k | dj@ vFkh. M dh jkf'k | djy |
|---------|--------------------------------------|--|---|-------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|-------|
| 5 | पाटलीपुत्र (3) | 1999-2000 से 2003-04 1/2003 एवं 11/2004 के बीच | वाशिंग मशीन कन्फेशनरी सामान खाद्य तेल | 16 8 9 | 1,421.15 1,362.82 | 2,248.13 2,239.77 | 66.69 | 10.88 9.88 | 20.76 |
| 6 | मुजफ्फरपुर (1) | 2001-02 एवं 2002-03 1/2004 एवं 10/2004 | केसर कोरगटेड बाक्स एवं बोतलें | 8 8 | 168.03 74.41 | -- | 93.62 | 9.49 8.64 | 18.13 |

दिसम्बर 2004 एवं जनवरी 2006 के बीच यह बतलाए जाने के बाद पटना विशेष अंचल के निर्धारण प्राधिकारी ने एक मामले में 38.47 लाख रुपये के मांग का सृजन किया तथा शेष मामलों में निर्धारण प्राधिकारी ने कहा कि मामलों की समीक्षा की जायेगी। आगे उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2006)।

मामले सरकार को जून 2005 तथा मई 2006 के बीच प्रतिवेदित किये गये थे; उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2006)।

2-3 fu; kr fcØh ds en ea vf/kd dVkr'h dh vuqfr

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम यह प्रावधान करता है कि उन वस्तुओं की बिक्री पर कर देय नहीं होगा जो भारतीय क्षेत्र के सीमा शुल्क चौकियों से बाहर निर्यात के क्रम में भेजे जायेंगे। आयुक्त, वाणिज्य कर बिहार ने जून एवं अगस्त 1991 में यह अनुदेश निर्गत किया कि निर्यात बिक्री पर छूट का कोई भी दावा बिल ऑफ एक्सपोर्ट द्वारा अवश्य समर्थित होना चाहिये तथा छिपायी गई बिक्री राशि का पता लगाने के लिये सभी प्रभारी निर्धारण प्राधिकारी को सीमा शुल्क विभाग के अभिलेखों के साथ तिर्यक जाँच करनी चाहिये।

2-3-1 चार वाणिज्यकर अंचलों² के कर निर्धारण अभिलेखों की सीमा शुल्क विभाग में संधारित अभिलेखों के साथ सितम्बर 2005 एवं जनवरी 2006 के बीच की गई तिर्यक जाँच से पता चला कि विभिन्न वस्तुओं³ के चार व्यवसायियों ने कर निर्धारण वर्ष 1999-2000 से 2001-02 के विवरणियों में नेपाल हेतु निर्यात बिक्री के मद में 255.19 करोड़ रुपये का बिक्री राशि दर्शाया था। फरवरी 2004 और मार्च 2005 के बीच कर निर्धारण पूरा करते समय निर्धारण प्राधिकारी द्वारा वस्तुओं के वास्तविक मूल्य 252.43 करोड़ रुपये, जैसा कि सीमा शुल्क विभाग के अभिलेखों में दर्शाया गया था, के विरुद्ध छूट प्रदान की गई थी। इस प्रकार वाणिज्यकर आयुक्त के अनुदेशों के अनुरूप सीमा शुल्क विभागों के अभिलेखों से तिर्यक जाँच करने में निर्धारण प्राधिकारियों की विफलता के परिणामस्वरूप कर देय बिक्री राशि से 2.76 करोड़ रुपये के निर्यात बिक्री की अनियमित छूट दी गई। इसके फलस्वरूप अतिरिक्त कर, अधिभार एवं अर्थदण्ड सहित 1.04 करोड़ रुपये का कम करारोपण हुआ।

2-3-2 हाजीपुर अंचल में जून 2005 में देखा गया कि एक मामले में वर्ष 2000-01 एवं 2001-02 के दौरान 95.57 लाख रुपये मूल्य के वस्तुओं की निर्यात बिक्री विहित प्रलेख प्रमाण, जैसे सीमा शुल्क विभाग द्वारा स्वीकृत बिल ऑफ एक्सपोर्ट द्वारा समर्थित नहीं था। जबकि अक्टूबर 2004 में कर निर्धारण पूरा करते समय निर्धारण प्राधिकारी ने बिक्री

² बगहा, किशनगंज, पटना सिटी पश्चिमी तथा पटना विशेष।

³ बैग, साईकिल, दवा एवं पेट्रोलियम उत्पाद।

राशि को करारोपण से छूट प्रदान की। इसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त कर एवं अधिभार सहित 13.79 लाख रुपये के कर का अवनिर्धारण हुआ।

इसे बताये जाने के बाद विभाग ने बताया कि परेषिती द्वारा भुगतान प्राप्त करने तथा माल भेजने के साक्ष्य के आधार पर दावे की स्वीकृति दी गई थी। जवाब मान्य नहीं थी क्योंकि निर्यात बिक्री के मामले में छूट की अनुमति हेतु बिल ऑफ एक्सपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य था।

मामला विभाग/सरकार को अप्रैल एवं मई 2006 के बीच प्रतिवेदित किये गये थे; उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2006)।

2-4 vfrfjä dj de yxk; k tkuk

बिहार वित्त अधिनियम के प्रावधानों तथा उसके तहत जारी अधिसूचनाओं के अन्तर्गत प्रत्येक व्यवसायी को सकल विक्रय राशि पर एक प्रतिशत की दर से (शराब को छोड़कर, जिसपर दो प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर आरोप्य है) अतिरिक्त कर तथा उसपर अधिभार का भुगतान करना है, जब तक कि अतिरिक्त कर आरोपित किये जाने से उसे विशेष रूप से छूट न दी गई हो।

छ: वाणिज्य कर अंचलों⁴ में नवंबर 2004 तथा जनवरी 2006 के बीच विभिन्न वस्तुओं⁵ के नौ व्यवसायियों के मामले में, जिनका कर निर्धारण अगस्त 2003 तथा मार्च 2005 के बीच हुआ था, यह पाया गया कि कर निर्धारण वर्ष 1999-2000 से 2002-03 के लिये 448.18 करोड़ रुपये के सही राशि के बदले 394.13 करोड़ रुपये के विक्रय राशि पर अतिरिक्त कर आरोपित किया गया था। इसके फलस्वरूप अधिभार सहित 1 करोड़ रुपये के अतिरिक्त कर का कम आरोपण हुआ।

इसे बताये जाने के बाद आरा के दो मामले तथा पटना विशेष अंचल के एक मामले में निर्धारण प्राधिकारियों ने 26.46 लाख रुपये के मांग का सृजन किया, जबकि अन्य मामलों में यह बताया गया कि मामलों की समीक्षा की जायेगी। आगे उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2006)।

मामले सरकार को मार्च 2005 एवं मई 2006 के बीच प्रतिवेदित किये गये थे; उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2006)।

2-5 xyr nj l s dj yxk; k tkuk

बिहार वित्त अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत समय समय पर अधिसूचनाओं द्वारा सरकार किसी भी वस्तु के श्रेणी या उसके प्रकार पर कर के दर को निश्चित कर सकती है।

तीन वाणिज्यकर अंचलों में फरवरी और अक्टूबर 2005 के बीच यह देखा गया कि पाँच व्यवसायियों ने कर निर्धारण वर्ष 2000-01 से 2003-04 के दौरान 25.61 करोड़ रुपये के वस्तुओं की बिक्री की। मार्च 2004 एवं मार्च 2005 के बीच कर निर्धारण करते समय निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा गलत दरों पर करारोपण किया गया। इसके फलस्वरूप अतिरिक्त कर एवं अधिभार सहित 1.35 करोड़ रुपये का कर कम आरोपित किया गया, जैसा कि नीचे वर्णित है :

⁴ आरा, पाटलीपुत्र, पटना विशेष, पटना पश्चिमी, सीतामढ़ी एवं तेंदुड़ा।

⁵ देशी शराब, डाबर उत्पाद, बिजली के सामान, भारत निर्मित विदेशी शराब, दुग्ध उत्पाद, मोटर पुर्जे, पेट्रोलियम उत्पाद तथा परिशोधित स्पिरिट।

| क्र.सं. | विवरण | विवरण | विवरण | विवरण | विवरण | | विवरण |
|---------|----------------|----------------------------------|--|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | विवरण | विवरण | |
| 1 | पाटलीपुत्र (2) | खाद्य तेल | 2003-04 10/2004 | 13.85 | 9 | | |
| | | मच्छर भगाने की टिकिया | 2002-03 11/2004 | 7.57 | 8 | 4 | 1.26 |
| 2 | हाजीपुर (2) | क्वायर मैट्रेस एवं तिपहिया गाड़ी | 2000-01 एवं 2001-02 03/2004 एवं 10/2004 | 3.74 | 12 | 10 | 0.08 |
| 3 | तेघड़ा (1) | दूध पाउडर | 2000-01 03/2005 | 0.45 | 10 | 8 | 0.01 |
| कुल | | | | 25-61 | | | 1-35 |

इसे बताये जाने पर निर्धारण प्राधिकारी, पाटलिपुत्र अंचल ने एक मामले में 1.05 करोड़ रुपये का मांग सृजित किया जबकि अन्य मामलों में यह बताया गया कि मामलों की समीक्षा की जायेगी। आगे उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2006)।

मामले सरकार को अगस्त 2005 और अप्रैल 2006 के बीच प्रतिवेदित किये गये थे; उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2006)।

2-6 बिहार वित्त अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत यदि कोई निबंधित व्यवसायी विवरणी में दर्शाये गये कर के भुगतान में विफल रहता है, तब निर्धारण प्राधिकारी नियत तिथि के बाद प्रत्येक प्रथम तीन महीने या उसकी आंशिक अवधि के लिये कर की राशि का अधिकतम पाँच प्रतिशत तक किन्तु ढाई प्रतिशत से कम नहीं और प्रत्येक आगामी माह या उसकी आंशिक अवधि के लिये 10 प्रतिशत तक किन्तु पाँच प्रतिशत से कम नहीं अर्धदण्ड आरोपित करेगा।

सात वाणिज्यकर अंचलों⁶ में अगस्त 2004 एवं फरवरी 2006 के बीच कर निर्धारण अभिलेखों से देखा गया कि 10 मामलों में कर निर्धारण वर्ष 1999-2000 से 2002-03 से संबंधित 34.03 करोड़ रुपये का स्वीकृत कर या तो जमा नहीं किया गया था या विलम्ब से जमा किया गया था, जिसपर 1.01 करोड़ रुपये का न्यूनतम अर्धदण्ड आरोप्य था। हालाँकि निर्धारण प्राधिकारी, विशेष अंचल, पटना ने एक व्यवसायी का कर निर्धारण करते समय आरोप्य 53.55 लाख रुपये के विरुद्ध 9.98 लाख रुपये का अर्धदण्ड आरोपित किया। शेष मामलों में निर्धारण प्राधिकारियों ने कोई अर्धदण्ड आरोपित नहीं किया। इसके फलस्वरूप 90.90 लाख रुपये का अर्धदण्ड नहीं/कम लगाया गया।

इसे बताये जाने पर निर्धारण प्राधिकारी बिहारशरीफ ने एक मामले में 10.24 लाख रुपये के माँग का सृजन किया, जबकि अन्य मामलों में यह बताया गया कि मामलों की जाँच की जायेगी। आगे उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2006)।

⁶ बेगूसराय, बिहारशरीफ, मुजफ्फरपुर, पटना-उत्तरी, पटना-विशेष, पटना-दक्षिण एवं तेघड़ा।

मामले सरकार को अगस्त 2005 और अप्रैल 2006 के बीच प्रतिवेदित किये गये थे, अप्राप्त है (अक्टूबर 2006)।

2-7 fNik; sfcØh jkf'k ij vFkh.M ugha yxk; k tkuk

बिहार वित्त अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत यदि विहित प्राधिकारी किसी कार्यवाही के दौरान अथवा अन्य किसी प्रकार से यह संतुष्ट हो जाता है कि व्यवसायी ने अपने भुगतान कर की राशि को कम करने की मंशा से किसी बिक्री या खरीद या उसके किसी ब्यौरे को छिपाया है अथवा अपने बिक्री या खरीद का गलत ब्यौरा दाखिल किया है, तब विहित प्राधिकारी छिपाये गये बिक्री राशि पर निर्धारित कर के अलावे अर्थदण्ड जो छिपाये गये बिक्री राशि पर कर के राशि का अधिकतम तीन गुणा तक किन्तु कम से कम कर के समतुल्य राशि होगा, भुगतान करने के लिये व्यवसायी को निर्देश देगा।

तीन वाणिज्यकर अंचलों⁷ में दिसम्बर 2004 एवं जनवरी 2006 के बीच तीन व्यवसायियों के कर निर्धारण अभिलेखों से देखा गया कि दिसम्बर 2003 एवं दिसम्बर 2004 के बीच कर निर्धारण करते समय निर्धारण प्राधिकारियों ने 21.09 करोड़ रुपये के बिक्री राशि के छिपाव को पकड़ा, जिसे व्यवसायियों द्वारा वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 के लिये दाखिल विहित विवरणियों में दर्शाया नहीं गया था। निर्धारण प्राधिकारियों ने छिपाये गये राशि पर 2.20 करोड़ रुपये का कर आरोपित किया, परन्तु 2.20 करोड़ रुपये का न्यूनतम अर्थदण्ड आरोपित करने में विफल रहे।

मामले विभाग एवं सरकार को मार्च 2005 एवं अप्रैल 2006 के बीच प्रतिवेदित किये गये थे; उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2006)।

2-8 vf/kd dj l xg.k ds fy; s vFkh.M ugha yxk; k tkuk

बिहार वित्त अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत कोई भी निबंधित व्यवसायी किसी भी व्यक्ति से वस्तुओं की बिक्री पर कर दायित्व से अधिक कर का संग्रहण नहीं करेगा। अधिनियम के प्रावधान का किसी प्रकार से उल्लंघन करने के मामले में विहित प्राधिकारी ऐसी संग्रहित कर की राशि के दुगुना के बराबर की राशि अर्थदण्ड के रूप में भुगतान करने हेतु व्यवसायी को निर्देश देगा।

पाटलीपुत्र अंचल में नवम्बर 2005 में देखा गया कि एक व्यवसायी ने कर निर्धारण वर्ष 2001-02 के दौरान अपने कर दायित्व से 6.25 लाख रुपये अधिक कर संग्रहित किया। निर्धारण प्राधिकारी सितम्बर 2003 में कर निर्धारण करते समय किसी भी प्रकार का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया। इसके फलस्वरूप 12.49 लाख रुपये का अर्थदण्ड नहीं लगाया गया।

मामला विभाग एवं सरकार के अप्रैल 2006 में प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2006)।

2-9 Ø; dj ugha@de yxk; k tkuk

बिहार वित्त अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्येक व्यवसायी जो उन वस्तुओं का क्रय करता है जिनपर बिक्रीकर देय नहीं है तथा उन वस्तुओं की खपत बिक्री के लिये अन्य वस्तुओं के विनिर्माण में करता है तो उसे उन वस्तुओं के क्रय मूल्य पर उस दर से कर देना होगा जिस दर पर उन वस्तुओं के विक्रय मूल्य पर कर आरोप्य है।

तीन वाणिज्यकर अंचलों⁸ में अप्रैल एवं अगस्त 2005 के बीच कर निर्धारण अभिलेखों से देखा गया कि चार व्यवसायियों ने निर्धारण वर्ष 2000-01 से 2003-04 के दौरान राज्य

⁷ पाटलीपुत्र, पटना-विशेष एवं पटना-दक्षिण

⁸ बक्सर, मुजफ्फरपुर और रक्सौल।

के भीतर से 4.68 करोड़ रुपये मूल्य के वस्तुओं⁹ का क्रय किया। बिक्री कर के भुगतान किये बगैर ही वस्तुओं का क्रय किया गया था तथा इसकी खपत दूसरे वस्तुओं¹⁰ के विनिर्माण में कर लिया गया था और इस प्रकार उनपर 27.86 लाख रुपये के क्रय कर का आरोपण का दायित्व बनता था। निर्धारण प्राधिकारी अगस्त 2003 एवं अक्टूबर 2004 के बीच कर निर्धारण करते समय क्रय कर आरोपित नहीं किये, सिवाए निर्धारण प्राधिकारी, बक्सर के अधीन एक मामले के, जिसमें 1.86 लाख रुपये के क्रय कर के विरुद्ध 0.47 लाख रुपये ही आरोपित किये गये थे। इसके फलस्वरूप 27.39 लाख रुपये का क्रय कर नहीं/कम लगाया गया।

मामले विभाग एवं सरकार को जनवरी तथा अप्रैल 2006 के बीच प्रतिवेदित किये गये थे; उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2006)।

2-10 केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत कोई व्यवसायी जो अन्तर्राज्यीय बिक्री या

अपने अभिकर्ता, प्रधान या दूसरे राज्य के अपने किसी व्यावसायिक केन्द्र को किए गए मालों के स्थानान्तरण पर कर से छूट/रियायती दर का दावा करता है तो उसे प्राप्तकर्ता द्वारा सत्यापित घोषणा प्रपत्र 'सी' अथवा 'एफ', जैसी भी स्थिति हो, में वस्तुओं के वैसे अन्तर्राज्यीय बिक्री अथवा स्थानान्तरण का ब्यौरा प्रस्तुत करना आवश्यक है। अन्यथा घोषित वस्तुओं के मामले में विहित दर की दुगुनी दर से तथा घोषित वस्तुओं को छोड़कर अन्य वस्तुओं के मामले में 10 प्रतिशत अथवा राज्य अधिनियम के अन्तर्गत आरोप्य दर, जो भी अधिक हो, के दर से कर आरोप्य है। बिहार सरकार ने मई 1996 में एक अधिसूचना जारी कर औद्योगिक इकाईयों को विनिर्मित वस्तुओं की अन्तर्राज्यीय बिक्री पर, औद्योगिक प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत, बिक्री कर से छूट की स्वीकृति प्रदान की। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्याय निर्णय¹¹ दिया गया कि अन्तर्राज्यीय बिक्री पर बिक्री कर से छूट की स्वीकृति हेतु प्रपत्र "सी" प्रस्तुत करना आवश्यक है। केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत अन्तर्राज्यीय बिक्री पर, राज्य अधिनियम के अधीन आरोप्य अतिरिक्त कर एवं अन्य कर भी आरोपित होगा।

2-10-1 औरंगाबाद और दानापुर अंचलों में अक्टूबर 2004 और सितम्बर 2005 के बीच यह देखा गया कि दो विनिर्माण इकाईयों ने औद्योगिक प्रोत्साहन योजना के तहत कर निर्धारण वर्ष 2000-01 एवं 2001-02 के दौरान 27.73 करोड़ रुपये मूल्य के वस्तुओं¹² के अन्तर्राज्यीय बिक्री पर छूट का दावा किया था। निर्धारण प्राधिकारी मार्च 2003 और मार्च 2004 के बीच कर निर्धारण पूरा करते समय छूट की अनुमति दी, जबकि लेनदेन घोषणा प्रपत्र "सी" द्वारा समर्थित नहीं थे। इसके फलस्वरूप 2.34 करोड़ रुपये के कर का अवनिर्धारण हुआ।

मामले विभाग एवं सरकार को मार्च 2005 और जनवरी 2006 के बीच प्रतिवेदित किये गये थे; उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2006)।

2-10-2 ग्यारह वाणिज्यकर अंचलों में यह देखा गया कि 23 व्यवसायियों ने कर निर्धारण वर्ष 2000-01 से 2003-04 के दौरान 25.96 करोड़ रुपये के अन्तर्राज्यीय बिक्री पर कर से छूट/रियायती दर पर कर लगाने हेतु दावा किया था। निर्धारण प्राधिकारी कर निर्धारण पूरा करते समय या तो कर नहीं लगाया या रियायती दर पर करारोपण किया, जबकि ये बिक्रियाँ घोषणा प्रपत्र "सी" और "एफ" द्वारा समर्थित नहीं थे। इसके

⁹ पेपर लेबल, धान, स्लैक वैक्स, मसाला तथा टीन कन्टेनर।

¹⁰ पाराफीन, रेसिडियू वैक्स तथा चावल

¹¹ राजस्थान राज्य बनाम सर्वोत्तम भेजिटेबल प्रोडक्ट (1996) 101 एस टी सी 547 (एस सी)

¹² लौह एवं इस्पात तथा वनस्पति।

फलस्वरूप अतिरिक्त कर एवं अधिभार सहित 1.68 करोड़ रुपये के कर का अवनिर्धारण हुआ, जैसा कि नीचे विवर्णित है :

| क्र.सं. | विवरण | वर्ष | वस्तु | मूल्य | अनुपात | प्रतिशत |
|---------|-----------------|--|---|----------|----------------|---------|
| 1 | कटिहार (1) | 2000-01 03/2005 | जूट बैग | 520.99 | 10/3 | 36.47 |
| 2 | सीतामढ़ी (1) | 2002-03 02/2005 | रेक्टिफाईड स्पिरिट एवं डिनेचर्ड स्पिरिट | 122.94 | 25+1+अधि0/4 | 31.30 |
| 3 | मधेपुरा (5) | 2002-03 एवं 2003-04 12/2003 से 03/2005 | जूट | 381.54 | 6/शून्य | 22.87 |
| 4 | पटना -विशेष (1) | 2001-02 03/2003 | पेट्रोलियम उत्पाद | 248.84 | 15+1+अधि0/4 | 19.43 |
| 5 | फारबिसगंज (4) | 2002-03 एवं 2003-04 08/2004 से 10/2004 | जूट | 478.05 | 6/3 | 14.34 |
| 6 | गया (1) | 2000-01 एवं 2001-02 05/2003 एवं 06/2003 | कंक्रीट स्लीपर | 175.50 | 10/4 | 10.53 |
| 7 | बगहा (1) | 2000-01 | भारत निर्मित विदेशी शराब | 185.37 | 25+2+अधि0/25+2 | 5.10 |
| 8 | पाटलीपुत्र (4) | 2000-01 से 2002-03 04/2004 से 10/2004 | कार | 61.91 | 12+1+अधि0/12 | 6.11 |
| | | | रेफ्रिजरेटर | 167.55 | 16+1+अधि0/16 | |
| | | | टायर एवं ट्यूब | 14.26 | 10/शून्य | |
| 9 | पूर्णिया (2) | 2000-01 एवं 2002-03 09/2004 एवं 03/2005 | फल का रस, टोमेटो जूस एवं इनगॉट | 61.77 | 10/8 | 5.60 |
| 10 | बाढ़ (2) | 2001-02 से 2003-04 12/2004 से 05/2005 | दाल | 83.83 | 8/शून्य | 6.71 |
| 11 | दरभंगा (1) | 2002-03 09/2004 | आटा, मैदा एवं सूजी | 93.76 | 10/शून्य | 9.38 |
| दिय | | | | 2]596-31 | | 167-84 |

मामले विभाग एवं सरकार को अक्टूबर 2004 और अप्रिल 2006 के बीच प्रतिवेदित किये गये थे; उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2006)।

2-11 fcØh jkf'k dk xyf fu/kkq .k

2-11-1 बिहार वित्त अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी व्यवसायी की कर योग्य बिक्री राशि का निर्धारण उसके सकल बिक्री राशि में से वास्तविक संग्रहित कर तथा विहित तरीके एवं सीमा तक अन्य प्रभार घटाने के बाद किया जाना चाहिए।

पटना विशेष अंचल में सितम्बर 2005 में पाया गया कि कर निर्धारण वर्ष 2002-03 के लिये एक व्यवसायी का करयोग्य बिक्री राशि की गणना करते समय निर्धारण प्राधिकारी ने जून 2005 में सकल बिक्री राशि से कर संग्रहण के मद में 23.98 करोड़ रुपये घटाया जबकि व्यवसायी द्वारा 22.87 करोड़ रुपये ही घटाने का दावा किया गया था। इस प्रकार सकल बिक्री राशि से कर के रूप में 1.11 करोड़ रुपये का बिक्री राशि अधिक घटाया गया।

पुनः यह देखा गया कि निर्धारण प्राधिकारी ने उसी निर्धारण वर्ष के लिये नुकसान एवं कमी के रूप में व्यवसायी के 1.73 करोड़ रुपये के घटाने के दावे को निरस्त कर दिया था, परन्तु उस राशि को कर योग्य बिक्री राशि में सम्मिलित करने में विफल रहे।

इस प्रकार कर एवं नुकसान/कमी के घटाव की अधिक अनुमति के फलस्वरूप 2.84 करोड़ रुपये के कर योग्य बिक्री राशि का कम निर्धारण हुआ तथा परिणामस्वरूप अतिरिक्त कर तथा अधिभार सहित 37.79 लाख रुपये का कम करारोपण हुआ।

मामला विभाग/सरकार को मई 2006 में प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2006)।

2-11-2 बिहार वित्त अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी व्यवसायी का सकल बिक्री राशि, कार्य संविदा के कार्यान्वयन हेतु प्राप्त या प्राप्य सकल राशि अथवा किसी दिये गये अवधि के दौरान किसी भी प्रयोजन से किसी वस्तु के उपयोग के अधिकार सहित प्राप्त या प्राप्य बिक्री मूल्य का योग होगा तथा इसमें अन्तर्राज्यीय व्यापार या निर्यात के दौरान किये गये वस्तुओं की बिक्री भी सम्मिलित होगा।

2-11-2-1 पाटलीपुत्र अंचल में सितम्बर 2005 में यह पाया गया कि एक व्यवसायी के वर्ष 2001-02 का कर निर्धारण अगस्त 2003 में करते समय निर्धारण प्राधिकारी ने यद्यपि 1.61 करोड़ रुपये के छूट के दावे को अस्वीकृत कर दिया था, लेकिन सकल विक्रय राशि निर्धारित करते समय इस राशि को सम्मिलित करने में विफल रहे। इसके फलस्वरूप अतिरिक्त कर एवं अधिभार सहित 23.29 लाख रुपये का कर कम आरोपित किया गया।

2-11-2-2 सितम्बर 2005 में पाटलीपुत्र अंचल के अभिलेखों के नमूना जाँच से यह प्रकटित हुआ कि अक्टूबर 2004 में दूध उत्पाद के एक व्यवसायी के वर्ष 2002-03 का कर निर्धारण करते समय निर्धारण प्राधिकारी ने कृषि विपणन शुल्क के 31 लाख रुपये को सकल बिक्री राशि में सम्मिलित नहीं किया तथा 61.37 करोड़ रुपये के बदले सकल बिक्री राशि 61.06 करोड़ रुपये निर्धारित किया। इसके फलस्वरूप अतिरिक्त कर एवं अधिभार सहित 3.76 लाख रुपये का कर कम आरोपित किया गया।

उपरोक्त मामले विभाग/सरकार को अप्रैल 2006 में प्रतिवेदित किये गये थे; उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2006)।

2-12 NW dh xyf Lohdfr

समय समय पर संशोधित बिहार बिक्री कर नियमावली के साथ पठित बिहार वित्त अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत, जहाँ कोई व्यवसायी अपने सकल बिक्री राशि के किसी भाग पर कर की देयता से इस आधार पर छूट का दावा करता है कि उसने वस्तुओं का स्थानान्तरण किसी अन्य व्यवसायी या उसके एजेंट या प्रमुख को, जैसा भी

स्थिति हो, बिक्री के उद्देश्य से किया है तो ऐसे दावे को प्रमाणित करने का दायित्व व्यवसायी पर होगा और इसके लिये उसे अन्य साक्ष्यों के साथ विभाग द्वारा फरवरी 2000 में निर्धारित विहित प्रपत्र-‘IX डी’ में एक घोषणा पत्र देना होगा।

आरा एवं समस्तीपुर अंचलों में मार्च एवं मई 2005 में यह पाया गया कि फरवरी 2002 एवं सितम्बर 2004 में किये गये कर निर्धारण के दो मामलों में वर्ष 2000-01 के दौरान 1.52 करोड़ रुपये मूल्य के वस्तुओं के भंडार के स्थानान्तरण पर छूट की स्वीकृति दी गई थी, जबकि ये दावे प्रपत्र-‘IX डी’ द्वारा समर्थित नहीं थे। छूट की गलत स्वीकृति प्रदान किये जाने के फलस्वरूप अतिरिक्त कर एवं अधिभार सहित 16.90 लाख रुपये का कम कर आरोपित किया गया।

इसे बताये जाने के बाद आरा अंचल के एक मामले में निर्धारण प्राधिकारी ने 2.67 लाख रुपये के माँग का सृजन किया, जबकि दूसरे मामले में निर्धारण प्राधिकारी, समस्तीपुर ने कहा कि मामले की समीक्षा की जायेगी। आगे उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2006)।

मामले सरकार को जुलाई 2005 एवं जनवरी 2006 में प्रतिवेदित किये गये थे; उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2006)।

2-13 dj de yxk; k tkuk

बिहार बिक्री कर नियमावली के साथ पठित बिहार वित्त अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत जून 1985 एवं जुलाई 2002 में निर्गत अधिसूचनाओं के द्वारा राज्य सरकार ने बिक्री के प्रत्येक बिन्दू पर करारोपण हेतु कुछ वस्तुओं को विनिर्दिष्ट किया।

पाँच वाणिज्यकर अंचलों¹³ में जुलाई 2005 एवं जनवरी 2006 के बीच यह पाया गया कि छः व्यवसायियों ने कर निर्धारण वर्ष 2000-01 से 2002-03 के दौरान 19.48 करोड़ रुपये मूल्य के वस्तुओं, जो उपरोक्त अधिसूचनाओं के अन्तर्गत थे, की बिक्री की। फरवरी 2003 और अप्रैल 2005 के बीच कर निर्धारण करते समय निर्धारण प्राधिकारी ने 67.96 लाख रुपये के सही राशि के बदले मात्र 45.79 लाख रुपये का कर आरोपित किया। इसके फलस्वरूप 22.17 लाख रुपये का कर कम आरोपित हुआ।

मामले विभाग/सरकार को जून 2006 में प्रतिवेदित किये गये थे; उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2006)।

2-14 vf/khkkj de yxk; k tkuk

बिहार वित्त अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रत्येक व्यवसायी, जिसकी सकल बिक्री राशि एक वर्ष के दौरान 10 लाख रुपये से अधिक होती है, को उसके द्वारा देय कर (अतिरिक्त कर सहित) पर 10 प्रतिशत की दर से अधिभार का भुगतान करना होगा। राज्य सरकार ने दिसम्बर 2000 में कुछ पेट्रोलियम उत्पादों को बिक्री के दूसरे एवं अनुवर्ती प्रक्रमों पर अधिभार के आरोपण से मुक्त कर दिया था।

हाजीपुर अंचल में जून 2005 में यह देखा गया कि मार्च 2005 में कर निर्धारण करते समय निर्धारण प्राधिकारी ने वर्ष 2000-01 के लिये पेट्रोलियम उत्पादों के एक व्यवसायी का सकल बिक्री राशि 6 करोड़ रुपये निर्धारित किया तथा 61.49 लाख रुपये¹⁴ के सही कर राशि पर आरोप्य अधिभार 6.15 लाख रुपये के बदले 0.34 लाख रुपये के कर पर 0.03 लाख रुपये अधिभार गलत रूप से आरोपित किया। इसके फलस्वरूप 6.12 लाख रुपये का अधिभार कम आरोपित किया गया।

¹³ छपरा, दरभंगा, नवादा, पटना विशेष एवं पूर्णिया।

¹⁴ अप्रैल 2000 से 14 दिसम्बर 2000 यानि वस्तुओं के छूट की अधिसूचना निर्गत की तिथि तक के बिक्री राशि पर गणना की गई।

मामला विभाग/सरकार को अप्रैल 2006 में प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2006)।

2-15 dj ds fj ; k; rh nj dh xyr vuøfr

बिहार वित्त अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत एक निबंधित व्यवसायी द्वारा दूसरे निबंधित व्यवसायी को विनिर्माण में वस्तुओं के सीधे उपयोग या प्रोसेसिंग या बिक्री हेतु किसी वस्तु के पैकिंग के लिये मालों की बिक्री पर रियायती दर पर कर आरोपित किया जायेगा। कॉरगेटेड वाक्स, जिसका उपयोग अगर वस्तुओं के पैकिंग के लिये किया जाता है, तीन प्रतिशत के रियायती दर पर कर योग्य है, अन्यथा नौ प्रतिशत के सामान्य दर पर कर आरोप्य होगा। हालाँकि जनवरी 1985 से कारगेटेड बॉक्स पर रियायती दर हटा लिया गया था।

बाढ़ अंचल में जुलाई 2005 में एक व्यवसायी के वर्ष 2002-03 के अभिलेखों से यह देखा गया कि सितम्बर 2004 में कर निर्धारण पूरा करते समय निर्धारण प्राधिकारी ने 99.10 लाख रुपये मूल्य के कॉरगेटेड वाक्स की बिक्री पर नौ प्रतिशत के बदले तीन प्रतिशत के रियायती दर पर कर का गलत आरोपण किया था, जबकि काफी पहले जनवरी 1985 में ही इस वस्तु पर रियायती दर की अनुमति वापस कर ली गई थी। इसके फलस्वरूप अतिरिक्त कर एवं अधिभार सहित 6.61 लाख रुपये का कम करारोपण हुआ।

मामला विभाग/सरकार को अप्रैल 2006 में प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2006)।